समाहरणालय, भोजपुर, आरा।

(जिला प्रोग्राम प्रशाखा, आई0सी0डी0एस0)

Ph.No. 06182 295022 **Email Id- dpoicdsara@gmail.com**

भोजपुर जिलान्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) में अनुबंध के आधार पर कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन संबंधी विज्ञापन :—

विज्ञापन संख्या—01/2025

समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या—1846 दिनांक 10.06.2010 एवं निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक—5994, दिनांक—31.12.2018 के आलोक में समेकित बाल विकास सेवा योजना भोजपुर के अन्तर्गत 29 पद पर कार्यरत आँगनबाडी सेविका से संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन प्रस्तावित है। भोजपुर जिला अंतर्गत कार्यरत आँगनबाड़ी सेविकाओं से वेब पोर्टल http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर सकेंगी। विस्तृत विवरण निम्नवत है :—

आँगनबाड़ी सेविकाओं से भरे जाने वाले पद

1 नियोजित किये जाने वाले पद का नाम — महिला पर्यवेक्षिका

2 नियोजित किये जाने वाले रिक्त 29 पदों की कोटिवार संख्या निम्नवत है:—

क्र0सं0	आरक्षण कोटि	रिक्ति की संख्या
1	अनारक्षित वर्ग	12
2	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	03
3	पिछड़ा वर्ग	04
4	पिछड़े वर्ग की महिला	00
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	04
6	अनुसूचित जाति वर्ग	06
7	अनुसूचित जन जाति वर्ग	00
	कुल	**29**

3. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय सीमा निम्नवत है :—

आवेदन प्राप्ति की तिथि :— 03.04.2026 से 24.04.2026 के संध्या 05:00 बजे तक। (दिनांक 24.04.2026 के संध्या 05:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगें)। ऑनलाईन आवेदन जिले के अधिकारिक वेबसाईट **https://bhojpur.nic.in/** के साथ—साथ **http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx** पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेव पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर, आवेदन समर्पित करेंगी।

4. ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण—पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, सभी स्तरों के अंक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ, आवास प्रमाण पत्र, राजपत्रित

पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर भेजना अनिवार्य है। लिफाफे के उपर बाँयी ओर "**आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन**" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों–हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगें। आवेदिका आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी। साथ ही अन्डर टेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। निबन्धित डाक आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24.04.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए।

5. **ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं ऑनलाईन आवेदन की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगाः–**

(i) मैट्रिक परीक्षा के उर्त्तीणता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(यदि हो तो, इन्टर, स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर परीक्षा के उर्त्तीणता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र)

(ii) अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।

(iii) राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(iv) जाति प्रमाण पत्र – आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, यथा–जाति प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग – क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र।

(v) अनुभव प्रमाण पत्र – अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।

(vi) जिन आँगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र।

(vii) अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

6. **आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यताः–**

(i) शैक्षणिक योग्यताः– न्यूनतम योग्यता–मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्णता

(ii) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात दिनांक—01.01.2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए एवं आवेदिका भोजपुर जिला की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

(iii) उम्र सीमा–निदेशालय के पत्रांक 41 दिनांक 29.01.2023 के आलोक में विज्ञापन वर्ष 2026 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।

7. वांछित सूचनाएँ :–

(i) शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।

(ii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगें।

(iii) आँगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

(iv) मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत् निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों को जोड़ा जाएगा।

(v) प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार / राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएँगे।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएँगे। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1–1 अंक। यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।

(vii) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी।

(viii) यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा।

(ix) अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त ऑगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।

(x) उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–5543 दिनांक–04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 25000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/–रूपये प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/–रूपये प्रतिमाह) निर्धारित है।

(xi) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

नोटः– संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4068 दिनांक–28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी। उक्त सूचना को भोजपुर जिला के बेवसाईट **https://bhojpur.nic.in** पर देखा जा सकता है।

13/3/2026

जिला पदाधिकारी
भोजपुर, आरा।